न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–93 सन् 2001

बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह.....वादी।

बनाम

सुकेश्वरी देवी वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–15.10.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 09 त्रिभुवन सिंह वो प्रतिवादी सं0 10 योगेन्द्र सिंह बनाये गए थे। वे लोग प्रोकारण प्रतिवादी बनाये गए थे, क्योंकि विवादित जायदाद के उत्तरी चौहदीदार थे। उनके विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग नहीं की गई। वे लोग मुकदमा में हाजिर भी नहीं हुए थे। प्रतिवादी सं0 09 वो 10 की मृत्यु हो गई है। चूंकि वाद मापी से संबंधित है। इसलिए चौहदीदार जरूरी फरीक मुकदमा के होते हैं। इसलिए प्रतिवादी सं0 09 वो 10 के वारिसान को मुकदमा में फरीक बनाना आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 09 त्रिभुवन सिंह अपने पीछे पांच पुत्र सत्येन्द्र कुमार उर्फ परशुराम सिंह, कामता सिंह, कन्हैया सिंह, विरेन्द्र सिंह वो हेमंत कुमार सिंह तथा एक पुत्री रीता देवी को छोड़कर मर गए हैं। उसी प्रकार उनके भाई प्रतिवादी सं0 10 योगेन्द्र सिंह भी बेला शादी विवाह के अपने उपरोक्त भतीजागण को अपना जायदाद वारिस छोड़कर मर गए है। इसलिए इनका नाम वादपत्र से कलमजद करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में त्रिभुवन सिंह के वारिसान को मुकदमा में फरीक बनाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अर्जीदावी में प्रतिवादी के खाने में प्रतिवादी सं0 09 त्रिभुवन सिंह वो प्रतिवादी सं0 10 योगेन्द्र सिंह का नाम काट कर उनके वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 25.08.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादी ने बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर और कानून के विरूद्ध प्रतिस्थापना का आवेदन पत्र दाखिल किया है जो काबिल खारिज के है। प्रतिवादी सं0 09 वो 10 की मृत्यु की तारीख साजिस के तहत आवेदन में पृष्ठांकित नहीं किया है, क्योंकि दोनों प्रतिवादी

की मृत्यु लगभग 15 साल पहले हो चुकी है। वादी के घर के पश्चिम प्रतिवादी सं0 09 वो 10 का घर है और प्रतिवादी सं0 09 वो 10 के मरने की पूर्ण जानकारी वादी को शुरू से है बावजूद उसके वादी अपने प्रतिस्थापना का आवेदन समय पर दाखिल नहीं किया है। वादी प्रतिवादी सं0 09 वो 10 के वारिसान को प्रतिस्थापित करने के बीच समय सीमा के अंदर आवेदन दाखिल नहीं किया है, क्योकि वादी और प्रतिवादी का मकान बिल्कुल सटा हुआ है और दोनों एक दूसरे के घर बराबर आते जाते है और उनकी मृत्यु भी गांव में ही हुई है। वादी को प्रतिवादी सं0 09 वो 10 की मृत्यु की जानकारी होने के पश्चात् भी समय सीमा के अंदर प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल नहीं किया है और विलंब से दाखिल किया गया है। वादी का वाद भी अबेट कर गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी के तरफ से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को मंजुर नहीं किया जा सकता है बल्कि खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी के तरफ से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 09 त्रिभुवन सिंह वो प्रतिवादी सं0 10 योगेन्द्र सिंह थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वादी की ओर उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दाखिल कर प्रतिवादी सं0 09 के कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को प्रतिस्थापित करने हेतु दाखिल किया है तथा प्रतिवादी सं0 10 योगेन्द्र सिंह जो अविवाहित मर गए तथा उनके संपत्ति उनके भतिजागण को प्राप्त हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वादी उक्त वाद प्रतिवादी सं0 09 त्रिभुवन सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को प्रतिस्थापित करना तथा प्रतिवादी सं0 10 योगेन्द्र सिंह का नाम वादपत्र से कलमजद करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापित आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।